

किसानों की सुविधा हेतु शीत भण्डारण इकाइयों एवं शीत भण्डारणों पर होने वाले खर्चों हेतु वित्तपोषण की योजना

उद्देश्य : किसानों की सुविधा के लिए उनके कृषि उत्पादों के स्टॉक की एवज में शीत भण्डारण इकाइयों एवं शीत भण्डारणों को चलाने में होने वाले खर्च (विजली बिल, मरम्मत, रख-रखाव आदि) को पूरा करने हेतु कार्यशील पूंजी उपलब्ध कराना ।

पात्रता : सभी मौजूदा शीत भण्डारण इकाइयां जिनका संतोषजनक रिकार्ड है ।

ब्याज प्रभारण : छमाही आधार पर। लाभ एवं हानि उद्देश्य के लिए ब्याज मासिक आधार अर्जित किया जाएगा, किंतु संग्रहण / मांग छमाही आधार पर की जाएगी ।

मार्जिन : 25%

प्रतिभूति : संपार्श्विक प्रतिभूति जिसका प्राप्य मूल्य ऋण राशि के 150% के समकक्ष हो ।

प्रोसेसिंग/ अपफ्रंट शुल्क: पात्र राशि का 50% ।

नोट: संशोधन हेतु लिंक कृषि बैंकिंग के तहत - किसान - कृषि ऋण योजनाएं